

20/05/24

पत्रा. पेश हुई। वकील उमयपहा उप.। वकील शर्मा ने जारी किया कि शर्मा की मृत्यु के पुणेई का. कु. पेश करने हेतु कवसर चाया। न्यायादित में कवसर दिया जाता है। मि. वाले का. कु. शर्मा एवं नोटिस विपक्षी सं. 2 लगायत 4 के दिनांक 22/05/24 को पेश हो।

22/05/24

पत्रा. पेश हुई। वकील उमयपहा उप.। वकील शर्मा के निदेशित किया जाता है कि विपक्षी 2 लगायत 4 की तामीत हेतु नोटिस आगामी पेशी पर अनिवार्य रूप से करकर पेश करे। मि. वाले का. कु. शर्मा एवं नोटिस विपक्षी सं. 2 लगायत 4 के दिनांक 27/05/24 को पेश हो।

27/05/24

पत्रा. पेश हुई। वकील शर्मा मय शर्मा अनुपस्थित। जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से कर-वार भावाजे आगवाई गई। उसके उपरान्त श्री गैर-आपिर रहने से शर्मा का शर्मा-पत्र अन्तर्गत धारा-224 के अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली केसल सुमार होकर नम्वर से काम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर सलूखर
जिला सलूखर